पत्र संख्या : 7ब / 4701 यो०ज०सं०–10 / 2013 102

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता (यॉंत्रिक) रॉंची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉंची, दिनांक : 23-10-13

विषय :– मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–74–मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180796740545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013–14 में बजट मुख्य शीर्ष **4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र०	मॉग संख्या / मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू० में)
1	2	3	4	8
1.	49–जल संसाधन विभाग / 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / 80–सामान्य	796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 74–मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,	05–निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180796740545	**26.00**

आवंटित राशि – ₹ छब्बीस लाख मात्र।

---

2. आवंटित राशि वर्ष 2013–14 के बजट उपबंध **रू० 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़)** मात्र के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक 1/पी०एम०सी० / कार्य–89 / 03 37 / 06–07 प्र०स्वी०, रॉंची दिनांक 22.03.07 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट–1, पर वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा।

5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र / चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र / चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र / चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एव व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र / चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(सुरेश प्रसाद भगत)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(सुबोध कुमार सिन्हा)	(बी० सी० निगम)
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि०)	संयुक्त सचिव (अभि०)	विशेष सचिव

7\.

8\. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

9\. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

10\. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

11\. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

12\. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

13\. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14\. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

21/10/17

(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 102 राँची, दिनांक :– 23-10-17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰– **हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/देवघर** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

21/10/17

(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 102 राँची, दिनांक :– 23-10-17

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) राँची/अभियंता प्रमुख –**I** एवं **II** जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(सुरेश प्रसाद भगत)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(सुबोध कुमार सिन्हा)	(बी॰ सी॰ निगम)	**(अविनाश कुमार)**
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि॰)	संयुक्त सचिव (अभि॰)	विशेष सचिव	**सचिव**

विभागीय पत्रांक......102...... दिनांक ......23-10-13 का अनुलग्नक परिशिष्ट –1

मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष–4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,
उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य,
लघु शीर्ष –796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना
उप शीर्ष–74–मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,
शीर्ष–05–निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य 49P470180796740545

वित्तीय वर्ष 2013–14 में बजट उपबंध 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) मात्र। **(राशि लाख रूपये मे)**

क्र॰	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशा॰स्वी॰की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	मार्च 2013 तक योजना पर व्यय।	वित्तीय वर्ष 2013–14 में आवंटन			अभ्युक्ति
							पूर्व का आबंटन	अतिरिक्त आबंटन	कुल आवंटित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, देवघर	देवघर	अजय बराज योजना	35184.52	37/06–07 प्र॰स्वी॰ दिनांक–22.03.07	34004.99	0.00	26.00	26.00	अजय मुख्य नहर के चेन सं॰–1701, 3572.50 पर स्केप रेगुलेटर का निर्माण एवं नहर के चेन सं॰–2547.37 अफजलपुर शाखा नहर पर तीन अदद सी॰/आर॰ एवं दो अदद एच॰/आर॰ के साथ–साथ अजय नहर के बागडेहरी शाखा के चेन सं॰–229/236, चेन सं॰–462 एवं चेन सं॰–700 पर स्थित विवरणी में एक–एक एच॰/आर॰ निर्माण का कार्य।
						कुल योग	**0.00**	**26.00**	**26.00**	
						आवंटित राशि – ₹ छब्बीस लाख मात्र।				

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव(अभि॰)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

(बी॰ सी॰ निगम)
विशेष सचिव

(अविनाश कुमार)
सचिव